

दिनांक :- 09-जनवरी-2018

महिला विभाग द्वारा प्रायोजित योजना हेतु बिल एवं भुगतान प्रक्रिया सम्बंधित सूचना

सभी सम्बंधित ज्ञान केन्द्रों / सर्विस प्रोवाइडर को यह सूचित किया जाता है की महिला अधिकारिता तथा RKCL के मध्य अनुबंध के आधार पर योजना हेतु बिल प्रक्रिया में निम्न बदलाव RS-CIT Women July 2016 बैच से किया जा रहा है।

उपरोक्त संदर्भित बैच से प्रारंभ करते हुए इस नई बिलिंग प्रक्रिया में निम्न चरणों का अनुसरण किया जायेगा

- 1st किशत हेतु कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग के पश्चात् बायोमेट्रिक पंजीकरण के आधार पर बिल प्रस्तुत किये जायेंगे
- 2nd किशत हेतु VMOU द्वारा प्रायोजित अंतिम परीक्षा (बैच हेतु प्रथम एग्जाम इवेंट) में पास होने के साथ ही महिला विभाग द्वारा संदर्भित अन्य शर्तों को पूर्ण करने वाले आशार्थियों हेतु बिल प्रस्तुत किये जायेंगे
- 2nd किशत हेतु शेष रहे ऐसे विद्यार्थी जिनका
 - a. क्रम संख्या 2 में महिला विभाग से भुगतान न माँगा गया हो तथा
 - b. VMOU द्वारा प्रायोजित अंतिम परीक्षा में (बैच हेतु प्रथम एग्जाम इवेंट को छोड़ कर अन्य प्रयासों में) पास हो तथा
 - c. महिला विभाग द्वारा संदर्भित अन्य शर्तों को पूर्ण करते हो

क्रम संख्या a,b, तथा c को संतुष्ट करने वाले सभी विद्यार्थियों हेतु सम्बंधित बैच को री-एग्जाम के लिए दिए जाने वाले अंतिम मौके के परिणाम के पश्चात् 2nd किशत हेतु अंतिम बिल प्रस्तुत किये जायेंगे।

4. विभाग से RKCL को भुगतान प्राप्त होने पर ही ज्ञान केन्द्रों को भुगतान किया जायेगा
5. RKCL में भुगतान के समय उपलब्ध "Last Updated Bank Account Detail" में ही भुगतान किया जायेगा



(महेश सिन्हा)
रीजनल मैनेजर, RKCL
जयपुर

